

राजस्थान सरकार  
खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.14(1)खान/ग्रुप-2/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15 JUL 2022

निदेशक,  
खान एवं भूविज्ञान विभाग,  
उदयपुर (राज.)

विषय: खनिज जिप्सम डीलरों के पंजीयन एवं ई-टी.पी. के संबंध में  
गाईडलाईन जारी करने के संबंध में।


संदर्भ:- आपका पत्रांक निखाभू/सीसी.4/जिप्सम ई.टी.पी./2022-23/3666  
दिनांक 08.07.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में  
प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों पर निर्णय लिये जाने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत  
खनिज जिप्सम डीलरों के पंजीयन एवं ई टी.पी. के पंजीयन के संबंध में आपके प्रस्ताव  
के आधार पर गाईडलाईन के बिन्दु संख्या 2 में अंकित "30 दिवस की अवधि" को  
संशोधित कर "90 दिवस की अवधि" किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया,

  
(नीतू शरूपाल)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खान एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित मंत्रावली।

शासन उप सचिव

CC/IV  
15/7